संचालनालय आदेश दिनांक 06.08.2019 द्वारा लोक सेवा आयोग से चयनित ... आयुष अधिकारियों के अनुभव प्रमाण पत्रों की विभागीय सेवा भर्ती नियमों के संदर्भ में ... सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार सत्यापन किये जाने हेतु समिति गठित की गई। समिति द्वारा निम्नलिखित चिकित्सकों के अनुभव प्रमाण पत्रों का विभागीय सेवा भर्ती नियमों ... लोक सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार सत्यापन परीक्षण किया गया :-

डॉ. मनीषा पाठक

डॉ. सुरत्ना चौहान

डॉ. नरेन्द्र कुमार पटेल

डॉ. गिरिराज वाथम

डॉ. निधी गुप्ता

(i) डॉ. मनीषा पाठक की प्रथम नियुक्ति राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद पर संचालनालय आदेश दिनांक 09.11.09 से एक वर्ष के अनुबंध पर लोण्डी जिला छतरपुर में की गई थी।

(ii) संचालनालय, आयुष आदेश दिनांक 20.06.13 द्वारा इनका स्थानान्तरण इंगोरिया जिला उज्जैन में किया गया था।

(iii) डॉ. मनीषा पाठक द्वारा दिनांक 27.11.09 से 11.04.15 तक संविदा आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद का प्रमाण पत्र एवं 29.04.16 से 07.12.18 तक का अनुभव प्रमाण पत्र आयुर्वेद महाविद्यालय, उज्जैन का संलग्न किया गया है।

-: समिति का परीक्षण :-

डॉ. मनीषा पाठक द्वारा संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र संविदा आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के 05 वर्ष का है।

(i) डॉ. सुरत्ना चौहान की प्रथम नियुक्ति राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद पर संचालनालय आदेश दिनांक 06.06.08 से एक वर्ष के अनुबंध पर पनागर जिला जबलपुर में की गई थी।

(ii) डॉ. सुरत्ना चौहान द्वारा दिनांक 19.06.08 से 20.02.19 तक संविदा आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद का प्रमाण पत्र अनुभव प्रमाण पत्र का संलग्न किया गया है।

-: समिति का परीक्षण :-

डॉ. सुरत्ना सिंह चौहान द्वारा संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र संविदा आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के 05 वर्ष का है।

3/ (i) डॉ. नरेन्द्र कुमार पटेल की प्रथम नियुक्ति राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद पर संचालनालय आदेश दिनांक 09.11.2009 से एक वर्ष के अनुबंध पर रामपुर बघेलन जिला सतना में की गई थी।

(ii) डॉ. नरेन्द्र कुमार पटेल को जिला आयुष अधिकारी सतना द्वारा दिनांक 10.11.09 से 17.04.15 तक संविदा आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद का अनुभव प्रमाण पत्र दिया गया है जो संलग्न है। संचालनालय आयुष द्वारा डॉ. पटेल को अनुभव प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। डॉ. नरेन्द्र कुमार पटेल को संचालनालय आदेश दिनांक 07.11.2016 द्वारा एम.डी. पाठ्यक्रम प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान की गई।

(iii) महात्मा गांधी चित्रकूट विश्वविद्यालय जिला सतना द्वारा जारी दिनांक 29.07.08 के अनुभव प्रमाण पत्र में दिनांक 10.07.2006 से 30.06.07 एवं 11.07.2007 से 30.05.2008 तक अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय में गेस्ट फैकल्टी के रुप में कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया गया। जो मान्य योग्य नहीं है।

-: समिति का परीक्षण :-

डॉ. नरेन्द्र कुमार पटेल द्वारा संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र संविदा आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के 05 वर्ष का है।

डॉ. गिरिराज बाथम द्वारा दिनांक 01.01.2005 से 17.05.2009 तक अमर सेविका संस्थान, श्योपुर का संलग्न किया गया है। जिसमे चिकित्सा अधिकारी बताया गया है।

-: समिति का परीक्षण :-

संस्थान के लेटर हेड मे चौबीस घंटे आकस्मिक सेवाए देने का लेख है। यह संस्थान आयुर्वेद चिकित्सा हेतु नही है।

दूसरा प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी, श्योपुर का संलग्न किया गया है। जिसमे संविदा चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, वरगांवा, श्योपुर मे कार्य किया है। इसकी कार्य अवधि 02 वर्ष है।

तीसरा अनुभव प्रमाण पत्र अमर सेविका संस्थान, श्योपुर का संलग्न किया गया है। जिसमे कार्य अवधि 18.05.2011 से 30.04.2012 तक अंकित है, जो लगभग 08 माह है।

चौथा प्रमाण पत्र डुमना पीपुल टू पीपुल इंडिया सामुदायिक विकास परियोजना, करहल में 01 वर्ष 08 माह (01.05.2012 से 31.01.2014 तक) यह भी एन.जी.ओ. संस्था है।

पांचवा प्रमाण पत्र सरदार पटेल अस्पताल एंड रिचर्स सेंटर, धार का दिनांक 17.02.2014 से 29.07.2014 तक प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। जिसमें 05 माह का अनुभव होता है।

छठवां प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला ग्वालियर का संलग्न है। जिसमे 16.10.14 से 28.12.15 तक संविदा जिला कुष्ठ सलाहकार के पद का है। इस प्रमाण पत्र पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्योपुर द्वारा 01.01.2016 से 07.12.2018 तक कार्य करने का प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। यह कुष्ठ सलाहकार के पद का अनुभव है, चिकित्सा अधिकारी का नही।

-: समिति का परीक्षण :-

आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक (09.05.2015) बिन्दु क्रमांक 4.1 एवं 4.5 का जिसमे कुष्ठ सलाहकार के पद का अनुभव जोड़ने पर लगभग 04 वर्ष 02 माह का ही अनुभव होता है, जो विज्ञापन की शर्तो के अनुरुप नही है।
(एन.जी.ओ.- 07 वर्ष, आर.सी.एच.-02 वर्ष, कुष्ठ सलाहकार 4 वर्ष 02 माहकुल अनुभव लगभग 12 वर्ष)

4

डॉ. निधी गुप्ता पति अजय गुप्ता द्वारा मंदसौर इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एजूकेशन एंड रिसर्च मेडिकल ऑफिसर के पद पर दिनांक 15.04.2009 से 31.05.2011 तक कार्य करने का प्रमाण पत्र संलग्न किया है।

05.1/ इस प्रमाण पत्र के अतिरिक्त एन.आर.एच.एम. योजनार्तगत संविदा आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद पर दिनांक 01.06.2011 से निरंतर कार्यरत रहने का प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।

05.2/ डॉ. निधी गुप्ता द्वारा संलग्न प्रमाण पत्र मंदसौर इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एजूकेशन एंड रिसर्च की प्रमाणिकता हेतु संस्था को पत्र दिनांक 20.08.2019 जारी किया गया। संस्था द्वारा पत्र दिनांक 26.08.2019 से अवगत कराया कि डॉ. गुप्ता द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र उनके यहाँ से जारी नही किया गया है। (छायाप्रति संलग्न)

-: समिति का परीक्षण :-

संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र मंदसौर संस्था प्रमुख द्वारा जारी नही किया गया (संलग्न प्रमाण पत्र) मान्य योग्य नही है। डॉ. गुप्ता एन.आर.एच.एम. अंतर्गत 01.06.2011 से निरंतर कार्यरत है, परन्तु लोक सेवा आयोग मे फार्म भरने की अंतिम तिथी 09.05.2015 थी। एन.आर.एच.एम. योजनार्तगत संविदा आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के रूप मे लगभग 04 वर्ष 09 दिन का अनुभव होता है।

विशेष टीप:-

1/ विभागीय सेवा भर्ती नियम वर्ष 2013 कि अनुसूची 5 के बिन्दु क्रमांक 16,17,18 अनुसार आयुर्वेद/होम्यो/यूनानी चिकित्सा अधिकारी म.प्र. आयुष विभाग सेवा मे द्वितीय श्रेणी एवं वेतनमान 15600-39100+5400 ग्रेड पे अंकित है।

2/ म.प्र. लोक सेवा आयोग इन्दौर द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक 31.03.2015 अनुसार जिला आयुष अधिकारी पद हेतु वांछित अर्हता अनुसार आयुर्वेद/होम्यो/यूनानी चिकित्सा अधिकारी के पद पर पांच वर्ष का अनुभव अंकित है।

3/ डॉ. निधी गुप्ता, डॉ. मनीषा पाठक, डॉ. सुरत्ना सिंह चौहान एवं डॉ. नरेन्द्र पटेल द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र संविदा के है।

(अध्यक्ष)	(सदस्य)	(सदस्य)
डॉ. सीपी. शर्मा प्र. संयुक्त संचालक संचालनालय आयुष	डॉ. पी.सी. शर्मा उप संचालक संचालनालय आयुष	डॉ. वंदना बोराना सहायक संचालक संचालनालय आयुष